जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांकः-जविप्रा/अ.आ.(एल.पी.सी.)/07/डी- 1684 दिनांकः- 29-12-07

-: कार्यवाही विवरण :-

प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 43-वीं बैठक दिनांक 15.12.07 को पूर्वान्ह् 11.00 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें भाग लेने वाले जनप्रतिनिधिगण व अधिकारीगण का विवरण परिशिष्ठ 'अ' पर संलग्न है। बैठक में विचार-विमर्श पश्चात निम्नांकित निर्णय पारित किये गये:-

क्र सं	जोन	प्रस्ताव सं	प्रस्ताव का विवरण	निर्णय
1		43.1	प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की आयोजित 42 वी बैठक दिनांक 16.10.07 के कार्यवाही विवरण के अनुमोदन बाबत्।	प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की आयोजित 42 वी बैठक दिनांक 16.10.07 के कार्यवाही विवरण का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
2	1	43.2	भूखण्ड संख्या ए-19, बी-37 एव बी-38, जनता कॉलोनी में भूखण्ड से लगती हुई 31.30 वर्गमीटर भू-पट्टी का आवंटन करने बाबत् ।	उपायुक्त, जोन-1 द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है कि भूखण्ड संख्या ए-19, बी-37 एव बी-38, जनता कॉलोनी, योजना का एक पट्टा शशिकान्त, रविकान्त, अतुल, प्रफुल कासलीवाल एवं श्रीमति इन्दिरा बाकलीवाल के पक्ष में इस कार्यालय से दिनांक 09.05.07 को क्षेत्रफल 1374.83 वर्गगज का जारी किया गया है। प्रार्थीगण ने भूखण्ड से लगती हुई 31.30 वर्गमीटर भू-पट्टी आवंटन की मांग की है। अतः प्रकरण भू-पट्टी आवंटन के निर्णयार्थ समिति के समक्ष प्रस्तुत है। समिति द्वारा विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि यदि अन्य आवेदन न हो तो प्रस्तावानुसार नियमानुसार आवंटन की कार्यवाही की जावे।
3	7	43.3	भूखण्ड संख्या 18-बी, सत्य कॉलोनी (शंकर भवन गृ.नि.स.स.) सडक क्षेत्र में होने से पालड़ी मीणा में भूखण्ड के बदले भूखण्ड उपलब्ध कराने बाबत् । प्रति आयुक्त (एल.पी.सी.)	उपायुक्त जोन-7 द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है कि शंकर भवन गृ.नि.स.स. ने दिनांक 12.08.87 को श्रीमति पार्वती देवी को भूखण्ड संख्या 18-बी, सत्य कॉलोनी, क्षेत्रफल 381 वर्गगज का आवंटन पत्र जारी किया था । इसके बाद सोसायटी ने दिनांक 04.03.95 को उक्त भूखण्ड श्री कप्तान सिंह पुत्र श्री कमल सिंह को हस्तांतरण किया। श्री कप्तान सिंह पुत्र श्री कमल सिंह ने उक्त भूखण्ड जरिये इकरारनामें के दिनांक 05.10.98 को श्री विरेन्द्र सिंह पुत्र श्री बीरबल सिंह को विक्रय किया।

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

				सत्य कॉलोनी के अनुमोदित मानचित्र में यह भूखण्ड 40 फीट चौडी सडक में आने के कारण भूखण्ड का नियमन नही किया गया है। मौके पर 40 फीट चौडी सडक निर्मित है जो कि बाईपास से सीधे इस योजना के भूखण्ड के अन्दर भूखण्ड संख्या 18-ए तक आती है। इस प्रकार मौके की स्थिति के अनुसार बाईपास से जुडने वाली सडक का अन्य सडकों से लिंक होने के कारण नियमन नही किया गया है। उक्त भूखण्ड में प्राधिकरण द्वारा सडक बनाने पर श्री विरेन्द्र सिंह ने माननीय अपीलीय अधिकरण जविप्रा में वाद दायर कर स्थगन आदेश प्राप्त किया । उक्त भूखण्ड के सडक क्षेत्र में बी.टी सडक का निर्माण किया जा चुका है। माननीय न्यायालय अपीलीय अधिकरण, जविप्रा, ने अपील संख्या 198/04 में अपने निर्णय दिनांक 06.08.05 में यह लिखा है कि जविप्रा ने स्वयं सहकारी समिति के नक्शे में संशोधन कर उसमें विवादित सड़क दर्शा कर सडक अनुमोदित की है तो उसे अपीलांट को भूखण्ड के बदले में भूखण्ड देने अथवा उसको बाजार दर से होने वाली क्षतिपूर्ति दी जाकर सडक बनाने की कार्यवाही करनी चाहिए। जविप्रा अपीलीय अधिकरण का निर्णय दिनांक 06.08.05 का है। अत: उक्त निर्णय के विरूद्ध अपील किया जाना उचित नही होगा। प्रार्थी को भूखण्ड की उपलबधता के आधार पर पालडी मीना योजना में एक भूखण्ड उपलब्ध करवाना उचित होगा। समिति द्वारा विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि प्रकरण की निदेशक (विधि) से जांच करवाकर राय प्राप्त की जावे । तत्पश्चात् समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जावे
4	7	43.4	भूखण्ड संख्या-3/286, क्षेत्रफल 90.57 वर्गमीटर के स्थान पर 4/232 क्षेत्रफल 252 वर्गमीटर चित्रकूट योजना में भूखण्ड आवंटन करने बाबत् । प्रति० आयुक्त (एल.पी.सी.)	उपायुक्त, जोन-7 द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है कि श्री घासीराम बगडिया, शौर्यचक्र धारक द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर चित्रकूट आवासीय योजना में भुखण्ड संख्या 3/286 (कॉर्नर) क्षेत्रफल 90.57 वर्गमीटर सहमति के आधार पर भूखण्ड का आवंटन एल.पी.सी की 36 वी बैठक दिनांक 24.03.07 को करने का निर्णय लिया गया था। एल.पी.सी के निर्णय पश्चात् भूखण्ड का आवंटन दिनांक 21.05.07 को जारी किया गया था। प्रार्थी द्वारा उक्त भूखण्ड की मांग राशि दिनांक 14.08.07 को जमा कराकर चालान प्रस्तुत किया। जिसमें प्रार्थी से राशि समय पर जमा नही होने के कारण 8813 रूपये का मांग

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

				पत्र दिनांक 05.09.07 को जारी किया जा चुका है। प्रार्थी ने अब तक राशि जमा न कराकर प्रार्थना पत्र माननीय अध्यक्ष जन अभाव अभियोग निराकरण समिति राज. सरकार, जयपुर को प्रस्तुत कर भूखण्ड संख्या 3/286 वर्गमीटर के स्थान पर भूखण्ड संख्या 4/232 क्षेत्रफल 252 वर्गमीटर का आवंटन करने की मांग की गई है। शौर्य चक्र विजेता को नियमानुसार 220 वर्गमीटर का भूखण्ड आवासीय आरक्षित दर की 50 प्रतिशत पर किये जाने का प्रावधान है। अतः बढे हुए क्षेत्रफल का आवासीय आरक्षित दर की दुगुनी दर पर आवंटन किये जाने के निर्णयार्थ प्रस्तुत है। समिति द्वारा विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि पूर्व में आवेदक को उसकी सहमति से भूखण्ड आवंटन किया जा चुका है। अतः प्रस्ताव को अस्वीकार किया जाता है।
5	10	43.5	रा.उ.प्रा. विद्यालय, पालडी मीना, आगरा रोड विस्तार सीमा में आने के बदले में भूमि आवंटन करने बाबत् ।	उपायुक्त, जोन-10 द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है कि राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, पालडी मीना आगरा रोड विस्तार सीमा में आने से विद्यालय भवन को हटाने के बदले में जिलाधीश महोदय ने पत्र के माध्यम से ग्राम पालड़ीमीणा के खसरा नं. 602 में से 3000 वर्गगज भूमि आवंटन की मांग की है। अतः विद्यालय को भूमि आवंटन करने के निर्णयार्थ प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत है। समिति द्वारा विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि प्रस्तावानुसार नियमानुसार आवंटन की कार्यवाही की जावे।
6	10	43.6	ग्राम-सुमेल, तहसील-जयपुर में पुलिस अधीक्षक, जिला-जयपुर ग्रामीण जयपुर को पुलिस चौकी के सृजन हेतु भूमि के आवंटन बाबत् ।	उपायुक्त, जोन-10 द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है कि ग्राम-सुमेल, तह-जयपुर के खसरा नं. 277 रकबा 4 बीघा 13 विस्वा किस्म बंजड़ में से 1 बीघा भूमि जो वर्तमान में राजस्व रिकॉर्ड अनुसार जविप्रा स्वामित्व की भूमि है में से पुलिस अधीक्षक जिला-जयपुर ग्रामीण, जयपुर को पुलिस चौकी स्थापना हेतु भूमि आवंटन की मांग की है। अतः 1 बीघा भूमि खसरा नं 277 में से पुलिस अधीक्षक, जिला-जयपुर ग्रमीण, जयपुर को पुलिस चौकी स्थापना हेतु आवंटित किये जाने के निर्णयार्थ प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत है। समिति द्वारा विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि प्रस्तावानुसार नियमानुसार आवंटन की कार्यवाही की जावे।

प्रति० आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

7	10	43.7	पर्यटन विभाग राज. सरकार को हाथीगांव परियोजना फेज-II हेतु अतिरिक्त भूमि ग्राम आमेर में आवंटित किये जाने बाबत् ।	उपायुक्त, जोन-10 द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है कि हाथीगांव परियोजना के ग्राम आमेर, तह-आमेर के खसरा नं. 1489/9378 रकबा 3.79 है. में से 1.26 हैक्टेयर भूमि कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा कालबेलिया स्कूल ऑफ डांस की स्थापना हेत राज्य सरकार को आवंटन की स्वीकृति हेतु प्रेषित की हुई है। उक्त खसरा नं. की शेष भूमि की आवेदित संस्था ने मांग की है। अत: पर्यटन विभाग द्वारा भूमि की मांग किये जाने पर ग्राम आमेर तहसील-आमेर के खसरा नं. 1489/9378 रकबा 3.79 हैक्टैयर भूमि में से 2.53 हैक्टैयर भूमि पर्यटन विभाग को आवंटन किये जाने के निर्णयार्थ प्रस्तुत है। समिति द्वारा विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि प्रस्तावानुसार नियमानुसार Subject to Project Details आवंटन की कार्यवाही की जावे। नि:शुल्क आवंटन हेतु राज्य सरकार से स्वीकृति ली जावे।
8	10	43.8	श्री हनुमान सहाय मीणा पुत्र श्री गणेश नारायण मीणा को सुमेल योजना में भूखण्ड संख्या ए-177, क्षेत्रफल 162 वर्गमीटर का आवंटन हुआ था । भूखण्ड कार्नर का होने के कारण क्षेत्रफल बढकर 189.00 वर्गमीटर हो गया है। अत: बढे हुए क्षेत्रफल 27 वर्गमीटर की राशि जमा कराकर कब्जा पत्र व लीज डीड जारी करने बाबत् । अति० आयुक्त (एल.पी.सी.)	उपायुक्त, जोन-10 द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है कि श्री हनुमान सहाय मीणा पुत्र श्री गणेश नारायण मीणा को सुमेल योजना में भूखण्ड संख्या ए-177, क्षेत्रफल 162 वर्गमीटर का आवंटन हुआ था। भूखण्ड संख्या ए-177 आवंटन के समय 162 वर्गमीटर निर्धारित था कॉर्नर भूखण्ड होने के कारण क्षेत्रफल वढकर 189.0 व. मी. (189-162 = 27) हो गया है। अत: बढे हुए क्षेत्रफल 27 वर्गमी. की राशि लेनी है। सुमेल जविप्रा की योजना है जिसमें कॉर्नर भूखण्ड के बढे क्षेत्रफल का निर्णय नही हुआ है। जोन-10 की पालड़ीमीना स्कीम में बढे हुए क्षेत्रफल का निर्णय एल.पी.सी की 272 वी बैठक दिनांक 30.05.01 में लिया है। जिसमें बढे हूए क्षेत्रफल की राशि आवासीय आरक्षित दर + 10 प्रतिशत चार्ज करके वसूल करने का है। किन्तु यह कच्ची बस्ती की पुनर्वास योजना है। जिसका निर्णय सुमेल योजना में लागू करना ठीक नही है। जविप्रा की चित्रकूट योजना मे कार्नर भूखण्डों के बढे क्षेत्रफल की राशि लेने का निर्णय है कि उसी श्रेणी के गैर कार्नर भूखण्डों में अतिरिक्त भूमि की दर की गणना करते समय भूखण्ड पर प्राप्त होने वाले बिल्ट अप एरिया (वर्ग मीटर में ना कि प्रतिशत में) की सीमा तक मूल आवंटन दर या वर्तमान आरक्षित दर जो भी अधिक हो पर आवंटन किया जावेगा। तत्पश्चात शेष अधिक बढे हुए क्षेत्रफल को अतिरिक्त भूमि मानते हुए वर्तमान प्रचलित

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

				आरक्षित दर की दुगुनी दर चार्ज की जावेगी। इसके अलावा कुल अतिरिक्त भूमि पर 10 प्रतिशत कार्नर चार्जेज पूर्व की भाँति ही लगाये जावेंगे। चित्रकूट योजना के उक्त निर्णय अनुसार सुमेल योजना में कुछ कार्नर भूखण्डों की राशि भी जमा की जाकर जीजडीड जारी कर दिये है। राजस्थान इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट (शहरी भूमि निस्तारण) नियम 1974 के नियम 23 के तहत भू-पट्टी आरक्षित दर के दोगुनी दर से लिया जाना प्रस्तावित है। प्रकरण समिति के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत है। समिति द्वारा विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि प्रस्तावानुसार नियमानुसार आवंटन की कार्यवाही की जावे।
9	11	43.9	बिफ एण्ड वेलफेयर सोसायटी को शैक्षणिक एवं सामाजिक गतिविधियों हेतु भूमि आवंटन हेतु।	उपायुक्त, जोन-11 द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है कि संस्था द्वारा निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार शैक्षणिक एवं सामाजिक गतिविधियों हेतु 20000 वर्गमीटर भूमि की मांग की गई है। प्रकरण में प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार ग्राम-मानपुर टीलावाला तहसील-साँगानेर के खसरा नम्बर 267/824, 268, 223 में 1.75 हैक्ट. भूमि उपलब्ध है। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार निजी महाविद्यालय हेतु 5000 वर्गमीटर भूमि आवंटित की जा सकती है। इस कम में राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प-3(35)नविवि/3/2002 दिनांक 14.02.05 के अनुसार महाविद्यालय हेतु 8 एकड़ तक भूमि आवंटन की सीमा निर्धारित की गई है। संस्था द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के अनुसार शैक्षणिक एवं सामाजिक गतिविधियों हेतु भूमि आवंटन की मांग की गई है। अत: संस्था द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के अनुसार शैक्षणिक एवं सामाजिक गतिविधियों हेतु आवंटित की जाने वाली भूमि एवं दर का निर्णय किया जाना प्रस्तावित है। समिति द्वारा विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि संस्था की पात्रता की जांच व संस्था का भौतिक सत्यापन कर उपायुक्त प्रकरण आगामी एल.पी.सी. में रखेंगे ।
10	12	43.10	साहित्य सदावर्त, ज्ञानविहार, मालवीय नगर, जयपुर को ग्राम-राजावास, तहसील- आमेर में 15 हैक्टेयर भूमि आवंटन हेतु प्रति० आयुक्त (एल.पी.सी.)	उपायुक्त, जोन-12 द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है कि श्रीमति मनोरमा शर्मा, मंत्री, साहित्य सदावर्त समिति द्वारा ग्राम राजावास, तहसील आमेर में 17.75 हैक्टेयर भूमि निजी विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु आवंटन किये जाने के लिए निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत किया है। आवेदन पत्र के अनुसार ग्राम राजावास, तहसील आमेर में खसरा नं 251, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 610,

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

		611, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, रकबा 17.75 हैक्टैयर भूमि चाही गई है। राजस्व रिपोर्ट के अनुसार ग्राम राजावास तहसील आमेर के उपरोक्त खसरा नं. की भूमि का स्वामित्व जविप्रा के नाम दर्ज है। मौके पर भूमि रिक्त है तथा कुछ भूमि पर कच्चे मकान व टीनसेड नुमा कमरों में राजीव गांधी पाठशाला चल रही है। मौके पर पहुँचने हेतु नेशनल हाईवे नं. 11, सीकर रोड से कच्चा रास्ता निकल रहा है। उक्त भूमि सीकर रोड से लगभग 300 मीटर दूरी पर पश्चिम दिशा में स्थित है। ग्राम राजावास, तहसील आमेर के ख. नं. 251, 254, 255 से 261, 610, 613 से 619 रकबा 17.75 हैक्टेयर में से 15 हैक्टेयर भूमि राजस्थान इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट (शहरी भूमि निस्तारण) नियम 1974 के तहत संस्था को प्रश्नगत भूमि संस्थानिक आरक्षित दर पर आवंटन किये जाने की मांग की है। एल.पी.सी की बैठक दिनांक 28.11.06 के निर्णयानुसार संस्था द्वारा राज्य सरकार से विश्वविद्यालय हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत कर दिया है। संस्था द्वारा प्रश्नगत भूमि का भू-उपयोग ग्रामीण संस्थानिक प्रयोजनार्थ भू-उपांतरण की कार्यवाही कराई जा चुकी है। इस संबंध में धारा 25 (1) की अधिसूचना जारी की जा चुकी है। अतः प्रश्नगत भूमि संस्थानिक आरक्षित दर पर आवंटन किये जाने के निर्णयार्थ प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत है। समिति द्वारा विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि संस्था हेतु पूर्व में वर्ष 2005 में एल.पी.सी. की बैठक दिनांक 21.12.05 में विश्वविद्यालय हेतु 15 हैक्टेयर भूमि का आरक्षण किया गया है । व एल.पी.सी. के निर्णयानुसार संस्था द्वारा उक्त भूमि का भू-उपांतरण भी करवा लिया गया है । संस्था को अब विश्वविद्यालय हेतु भू-आवंटन किया जाना है । प्राईवेट युनिवर्सिटी हेतु 30 एकड़ भूमि के मापदण्ड निर्धारित है। अतः 30 एकड़ से अधिक भूमि दिया जाना उचित नही है । साहित्य सदावर्त समिति को मालवीय नगर योजना के डी-ब्लॉक में 5000 वर्गगज भूमि माध्यमिक विद्यालय हेतु पूर्व में आवंटित की गई है । अतः संस्था को निजी विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु 30 एकड़ भू-आवंटन की स्वीकृति एवं आवंटन दर निर्धारण हेतु प्रकरण राज्य सरकार को भेजा जावे ।

प्रति० आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

11	9	43.10(1)	श्री धाकड़ समाज समिति, जयपुर को छात्रावास/ धर्मशाला हेतु रियायती दर पर भूमि आवंटन बाबत्।	उपायुक्त, जोन-9 द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है कि श्री धाकड़ समाज को जयपुर विकास प्राधिकरण पत्रांक जोन-ए-प्रथम/2002/डी-855 दिनांक 31.08.2000 के द्वारा भूखण्ड संख्या जे-10-ए झालाना संस्थानिक क्षेत्र में आरक्षित दर 4200 रूपये प्रति वर्ग मीटर से आवंटित किया गया। लेकिन भूखण्ड उपलब्ध नही होने के कारण जोन-1 में आवंटन की कार्यवाही नही की जा सकी। एल.पी.सी. की 40 वीं बैठक दिनांक 28.07.07 में निर्णय लिया गया। जिसमें ग्राम पालड़ी मीणा तहसील-सॉगानेर के ख. नं. 50 रकबा 2.76 हैक्ट. जविप्रा. स्वामित्व की भूमि में से 1 एकड़ भूमि किस्म बंजड़ प्रथम का आवंटन उक्त संस्था को भू-उपयोग इकोलॉजिकल से संस्थानिक करवाये जाने की शर्त पर किया जाना प्रस्तावित कर प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया। आगामी एल.पी. सी. की 41 वी बैठक दिनांक 31.08.07 को भी जोन-12 में बैकल्पिक भूमि आवंटन हेतु निर्णय लिया गया। लेकिन जोन-12 में प्रस्तावित भूमि को धाकड़ समाज ने उपयुक्त नही माना एवं श्री धाकड़ समाज समिति अध्यक्ष द्वारा जोन-9 में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर भूमि का आवंटन नि-शुल्क एवं टोकनमनी पर किये जाने का निवेदन किया गया। इस संबंध में ग्राम दांतली एवं सिरोली योजना के संस्थानिक भूखण्ड आई-2 में से 7828 वर्ग मीटर भूमि श्री धाकड़ समाज समिति को देने की मांग की है। अत: धाकड़ समाज को संस्थानिक आरक्षित दर पर भूमि आवंटन करने हेतु प्रकरण एल.पी.सी. की बैठक में निर्णयार्थ प्रस्तुत है। समिति द्वारा विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि संस्था को छात्रावास हेतु प्रस्तावानुसार नियमानुसार 1 एकड़ भूमि का आवंटन किया जावे ।
12	9	43.10(2)	अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक प्राप्त खिलाड़ी को रियायती दर पर भूखण्ड आवंटन बाबत्। अति० आयुक्त (एल.पी.सी.) जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	उपायुक्त, जोन-9 द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है कि श्रीमति परमजीत चौधरी अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक प्राप्त खिलाडी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर नियमानुसार भूखण्ड चाहने बाबत निवेदन किया है। राजस्थान इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट डिस्पोजल ऑफ अरबन लैण्ड रूल्स 1974 (17 ए) के तहत खिलाडियों को भूखण्ड आवंटन के प्रावधान है । श्रीमति परमजीत कौर द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर एशियन एथलेटिक्स चैम्पियनशिप- जकार्ता 2000 में 4 X 400 मीटर रीले टीम में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है एवं सिडनी

				आलंपिक-2000 खेलों मं भाग लिया है। प्रार्थिया के आवेदन तथा आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार राजस्थान इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट डिस्पोजल ऑफ अरबन लैण्ड रूल्स 1974 के तहत अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता श्रीमति परमजीत चौधरी को भूखण्ड संख्या बी-74 (कॉर्नर) क्षेत्रफल 216.00 वर्गमी. रामनगरिया विस्तार योजना को वर्तमान आवासीय आरक्षित दर की 50 प्रतिशत राशि पर आवंटन किया जाना प्रस्तावित है। समिति द्वारा विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि प्रस्तावानुसार नियमानुसार आवंटन की कार्यवाही की जावे किन्तु आवंटन से पूर्व योजना के 25 प्रतिशत भूखण्ड नीलामी से विक्रय किये जाने के प्रावधान से छूट लेने व कॉर्नर भूखण्ड आवंटन की राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त की जावे। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि स्वतंत्रता सेनानियों, शौर्य पदक विजेताओं एवं खिलाड़ियों को बकाया प्रकरणों में भी कॉर्नर प्लॉट्स आवंटित किये जाने हेतु राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त की जावे ।
13	12	43.10(3)	रिसर्च डवलपमेन्ट एसोसिएशन, जयपुर को 5000 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने बाबत्।	उपायुक्त, जोन-12 द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है कि रिसर्च डवलपमेन्ट एसोसिएशन, जयपुर द्वारा शिक्षण सस्थान हेतु 5000 वर्गमीटर भूमि आवंटन के लिए निर्धारित प्रपत्र में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। जोन-12 के क्षेत्राधिकार में जविप्रा की आनंद लोक आवासीय योजना के बी-ब्लॉक में 30 मीटर चौडाई की सडक पर 4820 व.मी. क्षेत्रफल का संस्थानिक भूखण्ड नियमानुसार संस्थानिक आरक्षित दर पर आवंटन प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति द्वारा राजस्थान इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट (शहरी भूमि निस्तारण) नियम 1974 के तहत किया जाना है। अत: प्रकरण निर्णयार्थ समिति के समक्ष प्रस्तुत है। समिति द्वारा विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि उक्त संस्थागत भू-भाग हेतु संस्था की पात्रता का समुचित परीक्षण किया जाकर प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जावे ।
14	1	43.10(4)	भूखण्ड संख्या 67/5 के बदले में भूखण्ड संख्या 136/1, साईट एण्ड सर्विस योजना में नियमितिकरण किये जाने के संबंध में।	उपायुक्त, जोन-1 द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी श्री ओमप्रकाश पुत्र मूलचन्द स्वर्गीय श्रीमति कंचन देवी का एकमात्र वारिस होना बताया है। लेकिन प्रार्थी के पिता एवं आवंटिति माता श्रीमति कंचन देवी के पति के नाम में भिन्नता के कारण जोन के तहसीलदार महोदय से एवं संबंधित थानाधिकारी से जाँच कराये जाने

उपायुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

				पर श्री ओमप्रकाश को ही श्रीमति कंचन देवी का एकमात्र वारिस होना बताया है। यह भी तथ्य सामने आये है कि भिन्न-भिन्न नाम में परिवर्तन होने का मुख्यत: कारण सामान्य बोलचाल की भाषा के कारण रहा है। प्रार्थी ने नाम की भिन्नता के परिणामस्वरूप इस हेतु माता व पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, जाति प्रमाण पत्र, एवं राशन कार्ड आदि की फोटोप्रतियाँ प्रस्तुत की गई है। और साथ ही राजस्थान वाल्मिकी कर्मचारी संघ द्वारा यह प्रमाणीकरण किया गया कि ओमप्रकाश ही स्वर्गीय श्रीमति कंचन देवी के एकमात्र विधिक वारिस/पुत्र है। और इस प्रकार प्रार्थी श्री ओमप्रकाश द्वारा 67/5 के स्थान पर आवास संख्या 136/1 के आवंटन की मांग की है। इस प्रकार प्रार्थी श्री ओमप्रकाश पुत्र स्वर्गीय श्रीमति कंचन देवी को आवंटित आवास संख्या 67/5 के स्थान पर बदले में आवास संख्या 136/1 साईट एण्ड सर्विस योजना में नियमानुसार समस्त बकाया राशि मय ब्याज/पेनल्टि वसूल की जाकर नियमितिकरण किया जा सकता है। अत: प्रकरण निर्णयार्थ समिति के समक्ष प्रस्तुत है। समिति द्वारा विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि प्रार्थी द्वारा चाहा गया भूखण्ड प्रस्तावानुसार नियमानुसार दे दिया जावे ।
15	9	43.10(5)	सेन्ट्रल स्पाईन जगतपुरा (गोनेर रोड) पर पैट्रोल पम्प हेतु 200 वर्गमीटर भूमि आवंटन बाबत्।	उपायुक्त, जोन-9 द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है कि सेन्ट्रल स्पाईन जगतपुरा के भूखण्ड संख्या एस-44 ख. नं. 230, 231 व 231/807 क्षेत्रफल 5445.46 वर्गमी. में से 1200 वर्गमी. भूमि नविआ परिपत्र दिनांक 04.07.89 में दिये तथा निविवि के परिपत्र दिनांक 28.09.91 के प्रावधानों तथा उपशासन सचिव नविवि के आदेश दिनांक 12.06.06 में दिये निर्देशों को ध्यान में रखते हुये वाणिज्यिक आरक्षित दर 6600/- प्रति व.मी. दर निर्धारित है। एल.पी.सी. की 37 वी बैठक दिनांक 25.04.07 को भूमि का नामान्तकरण खुलने के बाद आवंटन करने पर विचारार्थ रखने का निर्णय लिया गया। अब भूमि का नामान्तरण दिनांक 21.05.07 को रीको के नाम खुल चुका है। दिनांक 15.02.05 को रीको एवं जेडीए के मध्य एम.ओ.यू. के आधार पर ये भूमि जेडीए के हिस्से में आई है। अत जविप्रा के हिस्से में आयी भूमि में स्थित भूखण्ड संख्या एस-44 में से 1200 वर्ग मीटर भूमि बी.पी.सी.एल. को आवंटित करना प्रस्तावित है। हालांकि बी.पी.

उप० आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

				सी.एल. अनुसूचित जाति की श्रेणी में नही आता है। परन्तु आशय पत्र (एल.ओ.आई.)धारक अनुसूचित जाति वर्ग की महिला है। पूर्व में एच.पी.सी.एल. को इसी प्रकार के मामले में आरक्षित दर पर जविप्रा द्वारा एल.पी.सी. की बैठक दिनांक 26.07.06 में पारित निर्णयानुसार ग्राम श्रीकिशनपुरा में 900 वर्गमीटर भूमि का आवंटन किया जा चुका है। भूमि आवंटन के संबंध में एल.पी.सी. की 38 वी बैठक दिनांक 29.05.07 के निर्णयानुसार एरिया मार्केटिंग मैनेजर, भारतीय पैट्रोल पम्प लि. को आवंटन पत्र/कब्जा पत्र एवं दिनांक 21.09.07 को 1200 व.मी. भूमि का पटट्ा जारी किया जा चुका है। शेष अतिरक्त 200 व.मी. भूमि के आवंटन की मांग की है। अत: शेष 200 व.मी. अतिरिक्त भूमि का आवंटन किये जाने हेतु प्रकरण एल.पी.सी. में निर्णयार्थ प्रस्तुत है। समिति द्वारा विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि प्रार्थी को पूर्व में आवंटन किया जा चुका है। अत: अतिरिक्त भूमि का प्रस्ताव अस्वीकार किया जाता है ।
16	2	43.10(6)	जलमहल परियोजना क्षेत्र के समीप स्थित जयपुर विकास प्राधिकरण की भूमि का उपयोग टरसरी ट्रीटमेन्ट प्लांट, सार्वजनिक पार्क व राजकीय कन्या विद्यालय हेतु निर्धारित करने के संबध में ।	उपायुक्त, जोन-2 द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है कि जलमहल परियोजना क्षेत्र के समीप स्थित जयपुर विकास प्राधिकरण की भूमि का उपयोग टरसरी ट्रीटमेन्ट प्लांट, सार्वजनिक पार्क व राजकीय कन्या विद्यालय हेतु मौके पर उपलब्ध भूमि में से 22,500 वर्गमीटर भूमि टरसरी ट्रीटमेन्ट प्लान्ट (वैटलैण्ड) निर्माण हेतु उपयोग में ली जाने की सहमति हुई है। 2,240 वर्गमीटर भूमि राजकीय कन्या विद्यालय हेतु आरक्षित रखी जाने तथा शेष 11,274 वर्ग मीटर भूमि पर जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा सार्वजनिक पार्क का विकास किये जाने के निर्देश है। सार्वजनिक पार्क की भूमि जयपुर विकास प्राधिकरण के स्वामित्व में रहेगी। अत: उक्तानुसार भूमि का उपयोग निर्धारित करने के निर्णयार्थ प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत है । समिति द्वारा विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि प्रस्तावानुसार नियमानुसार भूमि का आरक्षण निर्धारित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।
17	9	43.10(7)	स्वतंत्रता सेनानी को भूखण्ड आवंटित करने बाबत्।	उपायुक्त, जोन-9 द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है श्री टहल राम आहूजा पुत्र श्री जमट मल आहूजा निवासी 25/1323, कमल कुटीर, ईसाई मोहल्ला, अजमेर जिनको राजस्थान स्वतन्त्रता सेनानी नियम 1959 के अन्तर्गत स्वतन्त्रता सेनानी माना जाकर राज्य सरकार द्वारा पेन्शन दी

प्रति० आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

				जा रही है, को भूखण्ड संख्या बी-84 क्षेत्रफल 216 वर्गमीटर, रामनगरिया विस्तार, जगतपुरा, जयपुर में भूखण्ड आवंटन किया जाना है। राजस्थान इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट डिस्पोजल ऑफ अरबन लैण्ड रूल्स, 1974 के तहत स्वतन्त्रता सेनानी को 220 वर्गमीटर तक का भूखण्ड वर्तमान आरक्षित दर के 50 प्रतिशत पर आवंटन करने का प्रावधान है। अत: प्रार्थी को उक्त कॉर्नर भूखण्ड आवासीय आरक्षित दर के 50 प्रतिशत पर तथा कॉर्नर के लिए अलग नियमानुसार राशि पर भूखण्ड आवंटित किये जाने बाबत प्रकरण निर्णयार्थ समिति के समक्ष प्रस्तुत है। समिति द्वारा विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि प्रस्तावानुसार नियमानुसार आवंटन की कार्यवाही की जावे ।
18	3	43.10(8)	लालकोठी योजना में श्री भगवानदास खेड़ा के वारिसों को वर्ष 1960 में अवाप्त की गई 1915 वर्गगज भूमि के बदले राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प-3(32)नविवि/3 दिनांक 16.10.07 के क्रम में 250 वर्गगज के 5 भूखण्ड अर्थात् कुल 1250 वर्गगज भूमि 8/- रूपये प्रति वर्गगज की दर से आवंटित किये जाने के संबंध में। प्रति० आयुक्त (एल.पी.सी.) जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	उपायुक्त, जोन-3 द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है कि राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प-3(32)नविवि/03, जयपुर दिनांक 16.10.07 के कम में 1250 वर्गगज क्षेत्रफल के 5 भूखण्ड लालकोठी क्षेत्र में कुल 1250 वर्गगज भूमि अर्थात् 250 वर्गगज के 5 भूखण्ड का आवंटन श्री भगवानदास खेडा के वारिसों को सी-113 से सी-117, लालकोठी योजना में अवार्ड के रूप में आवंटित प्रत्येक 400 वर्गगज के 5 भूखण्डों अर्थात् 2000 वर्गगज की एवज में किया जाना है। राज्य सरकार ने निर्देश दिया है कि यदि लालकोठी योजना में भूमि उपलब्ध हो तो प्रथमतया लालकोठी योजना में अन्यथा उसके आस-पास किसी अन्य योजना में 8/- रूपये प्रति वर्गगज की दर से कुल 1250 वर्गगज का भूखण्ड आवंटित किया जावे। इस संबंध में जोन-1 एवं जोन-9 से रिपोर्ट प्राप्त हुई है। चूँकि लालकोठी योजना में कोई भूखण्ड वर्तमान में रिक्त नही है। अत: जोन-1 एवं जोन-9 के प्रस्तावों पर विचार किया जाना है । लालकोठी योजना हेतु वर्ष 1960 में अवाप्त की गई भूमियों के साथ श्री खेडा की खातेदारी की 1915 वर्गगज भूमि अवाप्त की गई। उक्त 1915 वर्गगज भूमि के बदले भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा अवार्ड दिनांक 09.01.64 में 1141/-रूपये नकद मुआवजे के साथ 2000 वर्गगज के भूखण्ड श्री खेडा को आवंटित करने की सिफारिश की गई। श्री खेडा को अवार्ड में दी गई 1141/- रूपये की राशि का भुगतान दिनांक 08.10.71 को कर दिया तथा 2000 वर्गगज के 5 भूखण्ड सी-113 से सी-117 (क्षेत्रफल 400 वर्गगज प्रत्येक कुल 2000 वर्गगज) का आवंटन

			तत्कालीन नगर विकास न्यास द्वारा दिनांक 02.04.79 को किया गया। लेकिन उक्त भूखण्ड का कब्जा श्री खेडा को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित किये गये स्थगन आदेश के कारण नही संभलाया गया। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त भूखण्डों पर श्री गणेश नारायण नाम के अवार्डी ने भी क्लेम किया है तथा उक्त भूखण्डों पर न्यायालय नाजिर से कब्जा प्राप्त करने के आधार पर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से उक्त भूखण्डों को श्री विजय कुमार डाटा, श्री दयाकिशन डाटा आदि को विक्रय कर दिया है तथा डाटा बन्धु उक्त भूखण्डों का नियमन हेतु प्रयासरत है। डाटा बन्धुओं द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में भूखण्डों के नियमन हेतु याचिकाऐं प्रस्तुत की गई है, जिनमें माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा भूखण्डों को नियमन योग्य मानते हुए राज्य सरकार के आदेश दिनांक 06.12.01 के अन्तर्गत कार्यवाही करने के निर्देश दिये है तथा उक्त निर्णयों के विरूद्ध जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपीलें प्रस्तुत की गई है, जो अभी विचाराधीन है। भूखण्ड संख्या सी-113, सी-114, सी-116 व सी-117 को प्राधिकरण द्वारा नीलामी में विक्रय द्वारा निस्तारित किया जा चुका है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के राधेश्याम के मामले में निर्णय पारित होने पर राज्य सरकार से आदेश प्राप्त होने के पश्चात् श्री खेडा को आवंटित भूमि का आवंटन पत्र निरस्त कर दिया गया। लालकोठी योजना के नियमन के संबंध में जारी राज्यादेश दिनांक 06.12.01 के बिन्दु संख्या-2 में स्पष्ट प्रावधान है कि जिन आवार्डीज को आवंटन पत्र जारी करने के पश्चात् कब्जा नही दिया जा सका, उन्हें लालकोठी योजना के अतिरिक्त जयपुर विकास प्राधिकरण की अन्य योजना में 250 वर्गगज का भूखण्ड आरक्षित दर के 25 प्रतिशत राशि लेकर आवंटित कर दिया जावे। श्री डी.एम जैन व नरपतसिहं के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आवार्डीज को लालकोठी योजना के अतिरिक्त जविप्रा. की अन्य योजना में 250 वर्गगज का भूखण्ड आवंटित करने के निर्देश दिये गये । इस संबंध में महाधिवक्ता की राय दिनांक 01.03.07 आ चुकी है जिसमें व्यक्त किया है कि "I am, therefore, of the opinion that in order not to leave the legal heirs of Shri Bhagwan Das Kheda in lurch and remedyless, they deserve to be allotted residential plots as may be available either in Lalkothi Scheme or in

प्रति॰ आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

				some other Scheme as ordered by the Hon'ble Supreme Court on the same rates at which plots were allotted to Shri Bhagwan Das Kheda i.e.@ Rs 8/- per sq. yds.'' जोन उपायुक्त द्वारा उठाये गये उपरोक्त बिन्दुओं को भी राज्य सरकार के समक्ष दिनांक 18.08.07 को भेजा जा चुका है जिस पर विचार कर राज्य सरकार द्वारा दिनांक 16.10.07 को स्पष्ट निर्देश दिये गए है। उक्त 1250 वर्गगज भूमि का आवंटन 8/- रूपये प्रति वर्गगज के आधार पर किया जाना है । जोन-1 ने अपने यू.ओ.नोट में बताया है कि ई-ब्लॉक, मालवीय नगर, योजना में 3 भूखण्ड ई-26, ई-27 एवं ई-28 के पीछे स्थित एक भूखण्ड 639 वर्गगज का है एवं वह प्रथम दृष्टया मालवीय नगर योजना का हिस्सा प्रतीत होता है। यद्यपि इस क्षेत्र का खसरा सुपरइम्पोज करने की कार्यवाही की जा रही है। खसरा सुपरइम्पोज करने के बाद वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी तथापि उक्त भूखण्ड तदर्थ रूप से आवंटन हेतु उपलबध है । समिति द्वारा विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि महाधिवक्ता की राय एवं राज्य सरकार के निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तावानुसार नियमानुसार तदर्थ आवंटन की कार्यवाही की जावे ।
19	9	43.10(9)	श्री भगवान दास खैरा को 611 वर्गगज भूमि आवंटन बाबत्।	उपायुक्त, जोन-9 द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है कि भूखण्ड संख्या सी-113 से सी-117, लालकोठी योजना के बदले श्री भगवान दास खैरा को 1250 वर्ग मीटर भूमि राज्य सरकार के निर्देशानुसार आवंटन की कार्यवाही की जानी है। जिसमें जोन-1 द्वारा 639 वर्गगज भूमि की आवंटन की कार्यवाही की जा रही है। शेष 611 वर्गगज भूमि रामनगरिया विस्तार योजना, जयपुर में आवंटन किया जाना है। रामनगरिया विस्तार योजना, जयपुर के कॉर्नर के भूखण्ड सी-30 क्षेत्रफल 207 व.मी. व सी-31 क्षेत्रफल 292.50 वर्गगज उपलब्ध है। जिनका क्षेत्रफल 597.41 वर्गगज होता है। इस प्रकार कॉर्नर के भूखण्ड संख्या बी-394 का क्षेत्रफल 315 व. मी. व बी-395 का क्षेत्रफल 238.50 व. मी. है तथा दोनों का क्षेत्रफल 662 वर्गगज होता है। इस प्रकार इन चार भूखण्डों में से कोई दो भूखण्ड आवंटन किये जाने है। अतः प्रार्थी को रामनगरिया विस्तार योजना, जयपुर में 611 वर्गगज भूमि का आवंटन एवं दर के संबंध में निर्णय हेतु प्रकरण एल. पी.सी. की बैठक में प्रस्तुत है ।

अति० आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

				समिति द्वारा विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार प्रस्तावानुसार नियमानुसार भूखण्ड संख्या-बी-394 व बी-395 का आवंटन कर दिया जावे । अधिक भूमि की राशि नियमानुसार वसूल की जावे
20	9	43.10(10)	रघुकुल शोध एवं तकनिकी संस्थान को भूमि आवंटन बाबत्।	उपायुक्त, जोन-9 द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है कि अध्यक्ष रघुकुल शोध एवं तकनिकी संस्थान, द्वारा जगतपुरा क्षेत्र में महिला प्रशिक्षणार्थियों के अध्ययन एवं (बी.एड.) कॉलेज हेतु आवासीय आरक्षित दर पर ग्राम गोनेर के खसरा नं. 445 में नाले से प्रभावित भूमि को छोड़ते हुए शेष भूमि में से 8 एकड़ भूमि आवंटन किये जाने हेतु मांग की है। अत: उक्त संस्था को 8 एकड़ भूमि ग्राम गोनेर के खसरा 445 में नाले से प्रभावित भूमि को छोड़ते हुए शेष भूमि में से 8 एकड़ भूमि आवंटन की कार्यवाही हेतु प्रकरण एल.पी.सी. की बैठक में राज्य सरकार की स्वीकृति पश्चात् निर्णयार्थ प्रस्तुत है। समिति द्वारा विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि संस्था का मौके पर भौतिक सत्यापन कर प्रस्तावानुसार नॉर्म्स के अनुसार आवंटन की कार्यवाही की जावे ।
21	11	43.10(11)	बालमुकुन्दपुरा योजना के भूखण्ड सख्या बी-169-एफ के स्थान पर भूखण्ड बी-116, विनिमय बाबत्।	उपायुक्त, जोन-11 द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है कि जविप्रा की बालमुकुन्दपुरा योजना में भूखण्ड सख्या बी-169-एफ आवंटन किया गया था परन्तु भूखण्ड की स्वीकृत चौडाई 7 मीटर के बजाय मौके पर 4.8 मीटर ही उपलब्ध होने के कारण आवंटी को इस भूखण्ड के स्थान पर विनिमय में इसी योजना का रिक्त भूखण्ड संख्या बी-116 का आवंटन किये जाने हेतु आयुक्त महोदय के अनुमोदन से एल.पी.सी. में एजेण्डा प्रस्तुत किया गया था। प्रकरण एल.पी.सी की 40 वी बैठक दिनांक 28.07.07 में प्रस्तुत किया गया था जिसमें समिति द्वारा ''प्रकरण निदेशक (आयोजना) के स्तर पर बाद समुचित परीक्षण आगामी बैठक में रखने का निर्णय लिया गया।'' निदेशक (आयोजना) द्वारा पत्रावली की नोटशीट के पैरा 79/एन से 81/एन पर भूखण्ड संख्या 169-एफ की बजाय भूखण्ड संख्या बी-116 आवंटित किये जाने हेतु एल.पी.सी. में विचार करने संबंधी टिप्पणी अंकित की गई है ।

प्रति० आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

			जयपुर विकास प्राधिकरण की बालमुकुन्दपुरा आवासीय योजना में भूखण्ड संख्या बी-169-एफ क्षेत्रफल 127.5 व. मी. के स्थान पर बी-116 क्षेत्रफल 120 व.मी. परिवर्तन स्वरूप आवंटी श्री इन्दरलाल शर्मा को आवंटित किये जाने के निर्णय हेतु समिति के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत है। समिति द्वारा विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि प्रस्तावानुसार नियमानुसार आवंटन की कार्यवाही की जावे ।
8	43.10(12)	जयपुर विकास प्राधिकरण की आवासीय योजना ग्राम गोविन्दपुरा/साँगानेर में सर्किल पर सृजित दुकानों में से नीलामी द्वारा विक्रय की गई 4 दुकनों के स्थान/मौके पर मन्दिर निर्माण होने के कारण विनिमय में दुकानों का आवंटन किये जाने बाबत्।	उपायुक्त, जोन-8 द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है कि जविप्रा आवासीय योजना गोविन्दपुरा/साँगानेर में दुकान संख्या 34, 36, 37, 38 का विक्रय नीलामी द्वारा किया गया है। डिमार्केशन एवं साईट अभियन्ता की रिपोर्ट के अनुसार उक्त दुकानों के सृजित स्थान पर लोगों के द्वारा मंदिर निर्माण कर लिया गया है। अत: उक्त दुकानों के बदले दुकान सं. 34 के स्थान पर दुकान सं. 2 दुकान सं. 36 के स्थान पर दुकान संख्या 5, दुकान सं. 37 के स्थान पर दुकान संख्या 6, दुकान सं. 38 के स्थान पर दुकान संख्या 7 विनिमय में दिया जाना प्रस्तावित है। उक्त दुकानों का क्षेत्रफल पूर्व में आवंटित/विक्रय की गई दुकानों का क्षेत्रफल साईट अभियंता की रिपोर्ट के अनुसार समान है एवं नॉन कॉर्नर दुकाने है। इसके अतिरिक्त दुकान संख्या 40, 41, 45, 46, 47 से गोविन्दपुरा आवासीय योजना के निवासियों को रास्ता दिया जाना उचित नही है। क्योंकि वहाँ के सभी निवासियों को अपने स्थान तक पहूँचने के लिए 12 मीटर चौडी सडक उपलब्ध है। इस प्रकार से उक्त दुकानों में से रास्ते की मांग किया जाना उचित नही है। अत: उक्त दुकानों का मौके पर कब्जा दिये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत है। अत: प्रकरण निर्णयार्थ समिति के समक्ष प्रस्तुत है। समिति द्वारा विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि प्रस्तावानुसार नियमानुसार आवंटन की कार्यवाही की जावे ।

1. बैठक में विधायक महोदय ने पारीक महिला महाविद्यालय हेतु भूमि आवंटन के प्रकरण की पत्रावली के बारे में जानकारी चाही इस पर यह निर्णय लिया गया कि उक्त प्रकरण उपायुक्त, जोन-12 द्वारा समिति की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।

अति० आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

2. बैठक में राज्य सरकार के निर्देशों के तहत जविप्रा./एल.पी.सी. द्वारा पूर्व में किये गये आवंटन प्रकरणों में आवंटन की शर्तो व भवन निर्माण की शर्तो के उल्लंघन के प्रकरणों की वस्तुस्थिति निर्देशों के बावजूद न भेजने पर खेद जताया व 7 दिवस में अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.) को निर्धारित प्रपत्र में भेजने हेतु निर्देशित किया गया व आगामी बैठक में पालना रिपोर्ट प्रेषित करने हेतु पाबंद किया गया ।

तत्पश्चात् बैठक सधन्यवाद समाप्त की गई।

अति० आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)
ज.वि.प्रा., जयपुर।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1- निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
2- अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर
3- महापौर, जयपुर नगर निगम, जयपुर
4- प्रमुख, जिला परिषद, जयपुर
5- श्री सुरेन्द्र पारीक, विधायक, हवामहल
6- श्री लक्ष्मी नारायण बैरवा, विधायक, फागी
7- श्री मोहन लाल गुप्ता, विधायक, किशनपोल
8- प्रो0 बीरू सिंह राठौड़, विधायक, बनीपार्क
9- श्री कालीचरण सर्राफ, विधायक, जौहरी बाजार
10- श्री कन्हैया लाल मीणा, विधायक, बस्सी
11- श्री नवरतन राजौरिया, विधायक, सांभर
12- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
13- निजी सचिव, जयपुर विकास आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
14- जिला कलक्टर, जयपुर
15- मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर
16- मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर
17- मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, जयपुर

18- मुख्य अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर

19- सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

20- निदेशक(वित्त/अभि0/आयोजना), जविप्रा, जयपुर

21- अतिरिक्त आयुक्त(पूर्व/पश्चिम/एल.पी.सी./भूमि), जविप्रा, जयपुर

22- अतिरिक्त निदेशक(राजस्व एवं सम्पति निस्तारण), जविप्रा, जयपुर

23- उपायुक्त जोन-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

24- जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर

25- रक्षित पत्रावली

अति० आयुक्त (एल.पी.सी.) सदस्य सचिव
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)
ज.वि.प्रा., जयपुर।

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

-: उपस्थिति पत्र :-

जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में आयोजित भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 43वीं बैठक दिनांक 15.12.07 में उपस्थित रहे जन-प्रतिनिधियों/ अधिकारियों की सूची:-

क्र.सं.	नाम जनप्रतिनिधि/अधिकारी मय पद	एल.पी.सी. में पद
1.	श्री डी.बी. गुप्ता, आयुक्त, जविप्रा	अध्यक्ष
2.	श्री सुरेन्द्र पारीक, मा0 विधायक	सदस्य
3.	श्री लक्ष्मी नारायण बैरवा, मा. विधायक	सदस्य
4.	श्री पी. के पाण्डे, निदेशक (आयोजना)	सदस्य
5.	श्री एस. सी. सोनी निदेशक (अभियांत्रिकी)	सदस्य
6.	श्रीमति कौमुदी गुप्ता, निदेशक (वित्त)	सदस्य
7.	श्री नरेश कुमार शर्मा, अति0 आयुक्त (एल0पी0सी0)	सदस्य सचिव
8.	श्री बी0के0 दोषी, अति0 आयुक्त (पूर्व)	सदस्य
9.	श्री एच. एस. भारद्धाज, अति. आयुक्त (पश्चिम)	सदस्य
10.	श्री महेन्द्र सोनी, अति0 आयुक्त (भूमि)	सदस्य
11.	श्री सुखवीर सैनी, उपायुक्त, जोन-2	विशेष आमंत्रित
12.	श्री एस. मित्रा, उपायुक्त, जोन-7	विशेष आमंत्रित
13.	श्री आकाश तोमर, उपायुक्त, जोन-8	विशेष आमंत्रित
14.	श्री आर. पी. एस. यादव, उपायुक्त, जोन-9	विशेष आमंत्रित
15.	श्री अरूण गर्ग, उपायुक्त, जोन-11	विशेष आमंत्रित
16.	श्री पुष्कर राज शर्मा, तहसीलदार, जोन-12	विशेष आमंत्रित
17.	श्री ललित कुमार शर्मा, (ZE), जल महल परियोजना	विशेष आमंत्रित
18.	श्री एम.एल.गुप्ता, अति0 निदेशक (राजस्व)	विशेष आमंत्रित
19.	श्री अरूण जोशी, पी.आर.ओ.	विशेष आमंत्रित

अति० आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर